

संगत www.goodluckindia.com पर प्राप्त कर दो गई है। अतएव, सब्बाधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी दावा-रहित लापांश का दावा करें। नियमावली के अनुसार आगे कोई सूचना दिए जिन कंपनी आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत शेयरों को अंतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

यदि आईईपीएफ में उसके अंतरण के बाद शेयरधारक अपनी शेयरों लाभांशों का दावा करने के इन्द्रुक हों तो आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र आईईपीएफ-5 में जो वेबसाइट अर्थात् www.icpf.gov.in पर उपलब्ध है में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अलग से आवेदन प्रस्तुत करे तथा विधिवत हस्ताक्षरित उसको भौतिक प्रति प्रपत्र आईईपीएफ-5 में वर्णित दस्तावेजों के साथ कम्पनी के पास भेजें। पुनः यदि किसी शेयरधारकों को इस विषय अथवा नियमावली पर कोई प्रश्न हो तो वे मास सर्विसेस लि., दी-34, ओखला इंडस्ट्रीज एरिया, फैज-11, नई दिल्ली-110020, टेली. 011-26387281, ईमेल-info@masserv.com पर कंपनी के आरटीए से संपर्क करें।

गुडलक इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/-

(रमेश चन्द्र गांग)

निवेशक

DIN: 00298129

स्थान: गाजियाबाद

BLS[®] बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन- L51909DL1983PLC016907

पंजीकृत कार्यालय नी-4बी-1, मधुरा मार्ग, एक्सटेशन भौमन को-ऑपरेटिव
औद्योगिक संपदा, नई दिल्ली, 110044

दूरभाष: +91 11 23310658, फैक्स: +91 11 23755264.

वेबसाइट www.blisinternational.com, ई-मेल: compliance@blisinternational.net

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की असाधारण

सामान्य बैठक तथा दूरस्थ ई-मतदान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) का जायोजन नवमवर 09 मई 2022 को प्रातः 10:30 बजे बीडियो कॉफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-अव्याख्यामों ('बीसी/आईएएम') की सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन जो वह अंतर्गत अधिकारी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा एमसीए सामान्य परिपत्र स. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र नं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र स. 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र स. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 तथा एमसीए सामान्य परिपत्र स. 20/2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021 के अनुसार किया जाएगा। कंपनी जो है वह ईजीएम की सूचना में उल्लेखित ईजीएम में लेन-देन किए जाने वाले समस्त व्यवसायों के सदर्भ में घण्टे सदस्यों को ईजीएम की तिथि से पहले "दूरस्थ ई-मतदान सुविधा" और ईजीएम के दोसान "ई-मतदान सुविधा" प्रदान कर रही है।

1. ईजीएम की सूचना तथा दूरस्थ ई-मतदान के अनुदेश तथा ईजीएम में ई-मतदान के विवरण उन समस्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुक्रवार 15 अप्रैल 2022 को प्रेषित कर दिए गए हैं जिनके ई-मेल अभिनेत्र तिथि शुक्रवार 08 अप्रैल 2022 के अनुसार आरटीए एवं हिपोजिटरी प्रतिनियोगियों के साथ पंजीकृत हैं। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.blisinternational.com, रस्टोक एक्सचेज अर्थात् बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया लि और मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया लि, की वेबसाइटों यथा क्रमशः www.bsceindia.com, www.nseindia.com और www.msci.in पर और सेंट्रल हिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

2. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशेष नियमावली के साथ पठित धारा 108 के पालनानुसार अपनी जो है वह ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर अपना मतदान करने के लिए उन सदस्यों को ईजीएम में दूरस्थ ई-मतदान और ई-मतदान सुविधा प्रदान करके सतुर्दश है जो या तो भौतिक प्राप्त्युपन में व्यवसाय अन्तरिक प्राप्त्युपन में अंश धारण किए हुए हैं।

संट्रल हिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (बीएसईएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ई-मतदान के उदाहरण हेतु एक अंकित व्यक्ति संदर्भ में दूरस्थ है।

समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि-

(i) कि ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन दूरस्थ ई-मतदान अथवा ईजीएम में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है,

(ii) दूरस्थ ई-मतदान अवधि का ग्राम बृहस्पतिवार 05 मई 2022 को प्रातः 09:00 बजे तथा समापन रविवार 08 मई 2022 को साथ 05:00 बजे होगा। इसके पश्चात दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा असंक्षम कर दिया जाएगा। यदि किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो उसे बाद में इस बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) किसी कोई व्यक्ति ईजीएम की सूचना के प्रेषणोपरात परतु कटा-ऑफ तिथि अर्थात् सामयिक 02 नई 2022 को अथवा इससे पूर्व कूपनी का सदर्भ बनता है तो वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक ईमेल लिख सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य पहले से ही सीडीएसएल दूरस्थ ई-मतदान नंबर के साथ पंजीकृत है तो वह दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

(iv) सदस्यगण कृपया नोट करें कि-

(क) अभीतक प्राप्त्युपन, भौतिक माध्यम से अंशों का धारण करनेवाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपने पते पंजीकृत नहीं किए हैं उन सदस्यों के लिए दूरस्थ तरीके से ई-मतदान की प्रविधि जो है उसका उल्लेखन ईजीएम की सूचना में किया गया है। इस रांग में विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करता जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे विवरण प्राप्त करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

(ख) ऐसे सदस्यगण जिन्होंने ईजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया है, वे भी ईजीएम में उपरिथित हो सकते हैं, परतु उन्हें मुझ अपना मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(v) सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि ईजीएम से जुड़ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने, ईजीएम के दोसान ई-मतदान करने तथा ईजीएम की लूचना में मुद्रितानुसार बीसी/आईएएम के माध्यम से ईजीएम में उपरिथित होने से संबंधित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले। यदि आपको ई-मतदान के रांग में कोई पूछताछ करनी है अथवा आपकी कोई शिकायत है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्षन के अंतर्गत उपलब्ध क्रिक्वेंटली आस्वाद करें। एक व्यक्ति ईजीएम के संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबद्ध समस्त शिकायतों को आप श्री राजेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल हिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन पूर्णदेव, एसएसएल, एनएमएस, फैक्टरी नं. 400013 को संबोधित कर उन्हें भेज सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं अंधवा 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

निवेशक मंडल के आदेश द्वारा

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

हस्ता/-

धारक भेदभाव

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 15.04.2022

स्थान: नई दिल्ली

सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा सिमोट ई-वोटिंग महिलाओं को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईजीएम की सूचना में भवित्वन की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्राप्ति नहीं दी जाएगी। ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, तो लैकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

कोई व्यक्ति जिसने शेयरों को अधिग्रहण किया है और ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लैकिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, तो लैकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

निवेशक मंडल ने भीएस लॉली ब्युट्वेटी, मैसर्स चन्द्रवेदी, एंड कैप्टन ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम परिषिक्षा और इन्वेस्टिगेशन के लिए एनएसडीएल के साथ व्यक्तिगत विवर